

Mr. Balwant Rai, B.S.

FA-23231229

(मिस्ट्री) सी. टी. एफ-33004/99

REOD. NO. D. L. - 33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

अन्यथा
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रकाशित से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 883]
No. 883]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 23, 2005/शुक्र 1, 1927
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2005/SHUKRA 1, 1927

प्रशासन और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2005

का. भा. 1172(अ).—केन्द्रीय सरकार भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् भारत सरकार के कनिष्ठ और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) के आदेश संख्या वा.भा. 189 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का सीमांत नाम निम्नलिखित, केमरा साधन और संरक्षण युक्तियों और उपसाधन (ग्वारिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2005 है।

(2) यह अधिनियम में प्रकाशन की तारीख से अठारह मास पश्चात् प्रवृत्त होगा।

2. निम्नलिखित, केमरा, साधन और संरक्षण युक्तियों और उपसाधन (ग्वारिटी नियंत्रण) साधन, 2003 में नाम संख्या 7 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों रखी जाएगी, नामतः:—

क्रम संख्या	मात्र	मापक
(1)	(2)	(3)
8	साधन प्रकाश संयंत्रों के लिए सील्ड बैलॉन्ग्रीन सील: भाग 1 सुरक्षा आवश्यकताएँ।	आईएस 15111 (भाग-1)
9	साधन प्रकाश संयंत्रों के लिए सील्ड बैलॉन्ग्रीन सील: भाग 2 कार्यविधि आवश्यकताएँ।	आईएस 15111 (भाग-2)

टिप्पणी: इस आदेश, अ. भा. 189 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2003 द्वारा भारत के अठारह मास पश्चात् प्रकाशित किया गया था और तब से अ. भा. 165 (अ), 15 फरवरी, 2004 द्वारा संशोधित किया गया।

P.T.O.

[भा. सं. 6(9)/2001-एल.ई.आई.]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(PART I)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

ORDER

New Delhi, the 22nd August, 2005

S.O. 1172(E).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act (63 of 1986), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards hereby makes following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number S.O. 189(E), dated the 17th February, 2003, namely :—

1. (1) This Order may be called the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Amendment Order, 2005.

(2) It shall come into force after eighteen months from the date of its publications in the Official Gazette.

2. In the Electrical Wires, Cables, Appliances and Protection Devices and Accessories (Quality Control) Order, 2003, after serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted namely :—

Sl. No.	Item	Standard
(1)	(2)	(3)
(8)	Self ballasted lamps for general lighting services : Part 1 safety requirements.	IS 15111 (Pt 1)
(9)	Self ballasted lamps for general lighting services : Part 2 performance requirements.	IS 15111 (Pt 2)

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 189(E) dated 17th February, 2003 and subsequently amended vide S.O. 165(B), dated 5th February, 2004.

(F.No. 6(9)2005)

N.N. PRASAD, Jt. Secy.